

Phone: 0141-2795544
0141-2795518
Fax. : 0141-2793280



Web: www.ruhsraj.org

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, JAIPUR
Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033

क्रमांक-एफ 4 () / परीक्षा / राज.स्वा.वि.वि. / 2017 / 11033

दिनांक 12-12-2017

प्राचार्य,
समस्त संबद्ध फार्मसी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: B.Pharmacy Part-I to IV and D.Pharmacy Part-I & II (Remanded) Exam. Jan.-2018 के परीक्षा फार्म भरवाये जाने के बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि B.Pharmacy Part-I to IV and D.Pharmacy Part-I & II (Remanded) Exam. Jan.-2018 के फार्म निम्न लिखित दिनांक के अनुसार प्रारम्भ किए जा रहे हैं:-

B.Pharmacy Part-I to IV and D.Pharmacy Part-I & II (Remanded) Exam. Jan.-2018	Without Late Fee	15.12.2017 to 21.12.2017	ऑनलाईन वैरिफिकेशन के उपरान्त प्राप्त सूची (निर्धारित प्रपत्र) में विश्वविद्यालय में दिनांक 29.12.2017 तक आवश्यक रूप से जमा करावें।
	With Late Fee 185/-	22.12.2017 to 24.12.2017	
	With double exam fee	25.12.2017 to 26.12.2017	
Online Verification dated		27.12.2017	

- नोट विश्वविद्यालय में परीक्षा फार्म की ऑनलाईन वैरिफिकेशन के उपरान्त प्राप्त सूची (निर्धारित प्रपत्र) जमा कराने की अन्तिम दिनांक 29.12.2017 तक होगी। किसी छात्र के परीक्षा फार्म अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन करने पर नियमानुसार शास्ती 8755/- के रूप में वसूल करके तथा परीक्षा नियंत्रक की अनुमति से ही परीक्षा फार्म स्वीकार किये जायेंगे।
- लेख है कि प्राचार्य पात्रता के अनुरूप ही छात्र/छात्रा से परीक्षा फार्म को भरवाये एवं सूची अद्यतन कर विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें।
- छात्र की पात्रता सम्बन्धी सभी शर्तों (उदाहरणार्थ उपस्थिति, प्रशिक्षण अवधि आदि) के पूर्ण होने पर ही परीक्षा फार्म की ऑनलाईन वैरिफिकेशन के उपरान्त प्राप्त सूची (निर्धारित प्रपत्र) विश्वविद्यालय को अग्रेषित करे।
- अगर किसी अपात्र छात्र का विश्वविद्यालय के पोर्टल पर परीक्षा फार्म प्रदर्शित/व्यमद हो जाता है तो भी प्रदर्शित परीक्षा फार्म छात्र की परीक्षा हेतु पात्रता सिद्ध नहीं करता है।
- Note: Even if the Examination Form of a candidate gets displayed on the RUHS WEBSITE, it does not amount to prove the eligibility of the candidate. The candidate cannot claim eligibility just because the examination form has got displayed on RUHS portal. The eligibility of a candidate would be finalized after being verified and approved (Examination Form) on RUHS portal by the concerned college.

अतः महाविद्यालय प्राचार्य से निवेदन है कि प्राचार्य अपात्र छात्रों को परीक्षा फार्म नहीं भरवाये तथा पात्र अभ्यर्थियों की सूची ही विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें। अगर प्राचार्य द्वारा अयोग्य छात्रों को ऑनलाईन वैरिफिकेशन कर सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक-एफ 4 () / परीक्षा / राज.स्वा.वि.वि. / 2017 11034 / 11040

दिनांक 12-12-2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि.जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कुलसचिव महोदय, राज.स्वा.वि.वि.जयपुर।
3. निजी सहायक, वित्त अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि.जयपुर।
4. उप कुलसचिव, गोपनीय, राज.स्वा.वि.वि.जयपुर।
5. वेबसाइट प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
6. कम्प्यूटर फर्म (उक्त परीक्षा हेतु समस्त कार्य सम्पादित करने हेतु)
7. रक्षित पत्रावली।

सहायक कुलसचिव
(परीक्षा)